राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2564 / 2010

रामगोपाल बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज प्रथम, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14.07.2010 (अनुलग्नक—10) को चुनोती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान की गई है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर दिनांक 02.09.1975 को हुई थी। अपीलार्थी को हैड कॉस्टेबल के पद पर वर्ष 1980 में पदोन्नति दी गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 1993 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर व वर्ष 1999 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गयी। अपीलार्थी को सीसीए नियम के तहत चार्जशीट दी गयी थी, परन्तु अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को महानिदेशक पुलिस द्वारा दो वेतन वृद्धियां बिना भावी प्रभाव के अवरूद्ध करने के दण्ड से दण्डित किया। अपीलार्थी को एक अन्य आरोप पत्र में आदेश दिनांक 20.12.2004 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर पुलिस स्टेशन फागी जिला जयपुर में कार्यरत था, जहां पर उसे दिनांक 12.05.2006 को निलम्बित करते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर संख्या 134 / 2006 दर्ज हुई। अपीलार्थी का सस्पेंशन आदेश दिनांक 26.04.2009 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, परन्तु पुनः दिनांक 11.05.2009 को निलम्बित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या

6657 / 2009 में अपीलार्थी का पुनः सस्पेंशन आदेश स्थगित किया गया, जिसके पश्चात अपीलार्थी को पुनः सेवा में रखा गया। उसके पश्चात अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी, जो दुर्भावनापूर्वक व गलत तरीके से दी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके तहत अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति दी जाए। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज फौजदारी प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। अपीलार्थी का सेवाभिलेख अच्छा रहा है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 14.07.2010 पूर्णतः प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी को मिले दण्डों एवम् अपीलार्थी के कार्य करने की क्षमता एवम् अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवा रेकॉर्ड का परीक्षण करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के द्वारा जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी का सम्पूर्ण सेवाकाल कलंकित ही नहीं बल्कि निरन्तर कलंकित रहा है। अपीलार्थी को जो अनिवार्य सेवानिवृति दी गई है, वह आन्तरिक स्केनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही प्रदान की गयी है और राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नियमों की पालना करते हुए अपीलार्थी को जनहित व राजहित में अनिवार्य सेवानिवृति आदेश दिनांक 14.07.2010 के द्वारा दी गई है। अपीलार्थी को सीसीए नियमों के तहत 12 बार दण्डित किया गया है। अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृति राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही जनहित में व राजहित में दी गयी है। अनिवार्य सेवानिवृति आदेश राज्य सरकार के द्वारा गठित आन्तरिक स्केनिंग कमेटी एवम् रिव्यू कमेटी की अनुशंषा पर जनहित में दी गयी है। जिसमें कमेटी ने अपीलार्थी के सम्पूर्ण सेवाकाल के रिकॉर्ड का मली–भांति अवलोकन एवं परीक्षण किया है। गठित कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृति आदेश की अनुशंषा पर अपीलार्थी के सेवा में रहते हुए अपने कर्तव्य की पालना नही करना, राजकार्य में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता. कर्तव्यविमुख एवम् अकर्मण्यता इत्यादि कारणों से सीसीए नियमों के तहत सेवाकाल के दौरान प्राप्त दण्डों पर गहनता से विचार कर जनहित में अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है, जो कि पूर्णतः नियम सम्मत है।

3. हमनें दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। समस्त सामग्री का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये जवाब से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सेवाकाल के दौरान सीसीए नियमों के तहत 12 बार दण्डित किया जा

चुका है। इस तथ्य का कोई खण्डन अपीलार्थी ने नहीं किया है। जवाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी की सम्पूर्ण सेवाकाल के रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन एवं परीक्षण किया गया है एवं उसके पश्चात स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंषा के आधार पर सेवानिवृति प्रदान की गयी है। अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 **बैकुण्ठनाथ दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा** के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं:–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क / प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क / प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का सम्पूर्ण रिकॉर्ड देखा गया था, जिसमें 12 बार दण्डित किये जाने का भी रिकॉर्ड है। अपीलार्थी को पदोन्नति दिये जाने के आधार पर पुरानी शास्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पदोन्नति दिये जाने के आधार पर पुरानी शास्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरदास सिंह के मामले में ((1998)4 एस.सी.सी–92) में यह प्रतिपादित किया है कि:–

"Any adverse entry prior to earning Promotion or crossing of efficiency bar or Picking up higher rank is not wiped out and can be taken into consideration while considering the overall performance of the employee during whole of his tenure of service whether it is in public interest to retain him in the service."

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रतिवादित सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के पश्चात भी पुराने रिकॉर्ड को Wipe Out होना नहीं माना जा सकता है और कार्मिक का समस्त सेवाभिलेख देखा जाना उचित है। अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड को देखकर स्क्रिनिंग कमेटी एवं रिव्यू कमेटी द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसे गलत होना नहीं माना जा सकता।

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख पर गोर नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गोर किया गया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष समस्त सेवाभिलेख भेजा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी यह पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शास्ति आदेश समय समय पर पारित किये गये हैं, उनके आधार पर अपीलार्थी को सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है तो ऐसे निर्णय पर अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8. हमारे मत में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा समग्र सेवाभिलेख पर विचार कर निर्णय लिया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में कोई आधार मौजूद नहीं हो। हम यह पाते हैं कि ऐसे प्रकरणों में स्क्रिनिंग कमेटी के विवेक से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)